

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).
[Supply Appeal Case No.- 172/2025]

Sangita Kumari.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Others.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.9.2026	आदेश यह आपूर्ति अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं0-12432/2019 में दिनांक-14.10.2025 को पारित आदेश के आलोक में जिलाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही आदेश ज्ञापांक-17 दिनांक-25.10.2018 के विरुद्ध दायर किया गया है। दिनांक-09.09.2026 को उभय पक्ष तथा राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक के Final Argument को सुना तथा आवेदक के वाद पत्र/लिखित बहस, विपक्षियों के जवाब/लिखित बहस एवं अभिलेख का अवलोकन किया। संगीता कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि - 1. सुपौल जिला में PDS डीलर अनुज्ञप्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-01/2017 के आलोक में आवेदक सहित कई अन्य उम्मीदवारों के द्वारा प्रखंड सुपौल के पंचायत-हरदी पूर्व हेतु आवेदन किया गया। आवेदिका द्वारा हरदी पूर्व पंचायत में सामान्य श्रेणी महिला के अन्तर्गत आवेदन किया था। 2. दिनांक-05.05.2018 को प्रकाशित मेधा सूची में आवेदिका का नाम क्रमांक-01 पर सर्वोच्च अंकधारी होने के कारण अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला कोटि से प्रकाशित हुआ। जिसके विरुद्ध आवेदिका के द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन के आलोक में संशोधित सूची में सही कोटि अनारक्षित दर्ज किया गया। 3. आवेदिका को स्नातक में 66.25 प्रतिशत अंक प्राप्त है और कम्प्यूटर शिक्षा का ADCA डिग्री प्राप्त है। वहीं मीना कुमारी का चयन स्नातक में 67.60 प्रतिशत होने के आधार पर प्रथमतः कर दिया गया, जो शिकायत के बाद पाया गया कि मीना कुमारी स्नातक न हो कर स्नातक में दो पार्ट का ही परीक्षा दी है। इस आधार पर उनकी योग्यता इंटर मानी गई तथा उनका चयन रद्द करते हुए चयन समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-779-2 दिनांक-20.08.2018 के क्रमांक-11 द्वारा आवेदिका का चयन किया गया। किन्तु उसमें आवेदिका को स्नातक में 59.73 प्रतिशत अंक प्राप्त होना अंकित है। जिसे सुधार के लिए आवेदन दिया गया। चूंकि पूर्व में प्रकाशित सूची में सही अंक 66.25 दर्ज है। 4. विपक्षी मीना कुमारी के द्वारा आवेदन समर्पित करते समय दिव्यांगता कोटि का कोई दावा पेश नहीं किया गया था और ना ही दिव्यांगता का कोई प्रमाण-पत्र संलग्न किया था। दिनांक-05.05.2018 को प्रकाशित मेधा सूची में विपक्षी संख्या-07 मीना कुमारी की कोटि अनारक्षित एवं	



8/

29.9.2026



योग्यता इंटर मानते हुए उक्त रोस्टर बिन्दु पर संगीता कुमारी को योग्य मानते हुए चयन का निर्णय लिया गया, किन्तु चयन समिति की बैठक की कार्यवाई दिनांक-25.10.2018 (ज्ञापांक-917-2 दिनांक-31.10.2018 से निर्गत) के क्रमांक-17 के द्वारा मीना कुमारी ने चयन समिति के सहयोग से स्वयं को दिव्यांगता के आधार पर अनारक्षित कोटि में रोस्टर बिन्दु-63 पर गलत चयन करवाया।

5. विपक्षी संख्या-07 मीना कुमारी का चयन दिव्यांगता के आधार पर किया गया है किन्तु, नियम के अनुसार रोस्टर बिन्दु 51 से 75 के बीच दिव्यांगजन के लिए केवल 01 पद आरक्षित होता है। रोस्टर बिन्दु-67 पर पहले से ही एक अन्य दिव्यांग महिला रिकी कुमारी का चयन किया गया। इसलिए दिव्यांग कोटि में अब कोई जगह खाली नहीं थी।
6. चयन समिति के द्वारा प्रकाशित मेधा सूची में आवेदिका संगीता कुमारी का कोटि गलत दर्ज किया गया और पुनः उन्हें स्नातक में प्राप्त 66.25 प्रतिशत की जगह 59.73 प्रतिशत दर्ज किया गया, यानि चयन समिति के द्वारा आवेदिका के संदर्भ में बार-बार गलत तथ्य दर्ज करने का प्रयास किया गया ताकि आवेदिका संगीता कुमारी का चयन बाधित हो सके।

मीना कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि -

1. जिला पदाधिकारी, सुपौल के विज्ञापन संख्या-01/2017 दिनांक-14.10.2017 के आलोक में उनके द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों के साथ PDS डीलर की नियुक्ति हेतु दिव्यांगता के आधार पर आवेदन दिया।
2. दिव्यांग के लिए आरक्षित रोस्टर बिन्दु-63 के लिए उनके द्वारा आवेदन दिया गया। वे 45% दिव्यांग हैं तथा वे सभी दिव्यांग तथा वे सभी दिव्यांग आवेदकों में सबसे अधिक दिव्यांग है।
3. संगीता कुमारी के द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रोस्टर बिन्दु-60 के लिए आवेदन किया गया। वह रोस्टर बिन्दु-63 हेतु आवेदन नहीं की थी।
4. संगीता कुमारी को गलत ढंग से पहले रोस्टर बिन्दु-63 पर चयन कर दिया गया था। जब चयन समिति के द्वारा देखा गया कि संगीता कुमारी रोस्टर बिन्दु-60 के लिए आवेदन की थी तब उसका चयन रद्द कर के मीना कुमारी के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की जाँच कराकर उनका चयन दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रोस्टर बिन्दु-63 पर किया गया।

पूजा कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि -

1. संगीता कुमारी के द्वारा PDS डीलर अनुज्ञप्ति हेतु अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रोस्टर बिन्दु-60 के लिए आवेदन किया गया। वह रोस्टर बिन्दु-61 के लिए आवेदन नहीं की।
2. मीना कुमारी के द्वारा PDS डीलर अनुज्ञप्ति हेतु अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रोस्टर बिन्दु-63 के लिए आवेदन किया गया जो दिव्यांग के लिए था।
3. पूजा कुमारी का चयन अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित रोस्टर बिन्दु-61 के लिए किया गया, जो सही है।

सभी सम्बद्ध पक्षों के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से

२१.१.२०२६

यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी का दावा है कि विपक्षी मीना कुमारी द्वारा आवेदन समर्पित करते समय दिव्यांगता कोटि का कोई दावा पेश नहीं किया गया था और न ही उनके द्वारा दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया था। निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका में रक्षित विपक्षी मीना कुमारी के आवेदन के समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा उक्त आवेदन में दिव्यांग होने का दावा अंकित किया गया था एवं तत्संबंधी प्रमाण-पत्र भी संलग्न है।

उपरोक्त के आलोक में जिला चयन समिति द्वारा प्रश्नगत मामले में लिए गये निर्णय में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए अपीलार्थी के इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी जाय। निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका/अभिलेख संबंधित को वापस करें।



लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।